

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.1(12)नविवि/II/2012

जयपुर, दिनांक 20.9.2018

नोटिस


राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग अभियंता सेवा (भवन एवं पथ) नियम, 1954 जो न्यास सेवा के अभियन्ताओं पर इस विभाग की आज्ञा संख्या प.1(1)नविआ/81 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किये गये हैं, के नियम 28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.9.2011 के अनुसार में दिनांक 1.4.2018 की स्थिति में अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisonal seniority list) निम्नानुसार जारी की जाती है :-

क्र.सं.	नामअधिकारी	जन्मतिथि	चयनवर्ष
1.	श्री मदनलाल चौधरी	15.08.1963	2013-14
2.	श्री रामलाल	04.07.1960	2016-17
3.	श्री अनिल कुमार	30.08.1964	2016-17
4.	श्री राधेश्याम गुप्ता	12.06.1959	2016-17
5.	श्री अशोक कुमार चौधरी	09.07.1965	2016-17

उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisonal seniority list) पर यदि किसी अभियंता को कोई आपत्ति हो तो इस सूची जारी होने की दिनांक से 03 दिवस (दिनांक 25.09.2018 तक) की अवधि में समुचित तथ्यों का उल्लेख करते हुए समुचित साक्ष्यों सहित अपना लिखित अभिकथन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकेंगे।

निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अथवा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 03 दिवस की अवधि समाप्ति (दिनांक 25.09.2018 तक) पर वरिष्ठता सूची को ही अंतिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा।


आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
4. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास (.....)।
6. संबंधित अभियंतागण।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-प्रथम
९